पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक : 603 /अका./का.प./2014 रायपुर, दिनांक : 28/06/2014

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की **द्वितीय** बैठक दिनांक 16.06.2014 अपरिहार्य कारणों से स्थगित किया गया। स्थगित बैठक सोमवार दिनांक 23 जून, 2014 को अपरान्ह 3.00 बजे कुलपति कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए–

1. प्रो. एस.के. पाण्डेय, कुलपति – अध्यक्ष
2. प्रो. सी.एल. पटेल – सदस्य
3. प्रो. रोहिणी प्रसाद – सदस्य
4. प्रो. एम.डब्ल्यू.वाय. खान – सदस्य
5. प्रो. भगवन्त सिंह – सदस्य
6. प्रो. बी.के. शर्मा – सदस्य
7. प्रो. मिताश्री मित्रा – सदस्य
8. डॉ. अंजनी कुमार शुक्ला – सदस्य
9. डॉ. एम.आई. मेमन – सदस्य
10. डॉ. पी.सी. अग्रवाल – सदस्य
11. श्री एस.के. चक्रवर्ती – सदस्य
12. प्रो. दिनेश मारोठिया – सदस्य
13. श्री ललित सुरजन – सदस्य
14. श्री शिवरतन शर्मा – सदस्य
15. श्री श्रीचंद सुंदरानी – सदस्य
16. श्री नवीन मार्कण्डेय – सदस्य
17. श्री के.के. चन्द्राकर, कुलसचिव – सचिव

कार्यवृत्त

कार्यपरिषद् के नवनियुक्त सदस्यगण – विधानसभा सदस्य, सर्व श्री शिवरतन शर्मा, श्री श्रीचंद सुंदरानी, श्री नवीन मार्कण्डेय एवं संकायाध्यक्ष संवर्ग से डॉ. भगवंत सिंह का कुलसचिव द्वारा गुलदस्ता भेंटकर स्वागत किया गया। तत्पश्चात् बैठक की कार्यवाही प्रारंभ हुई।

01. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 09.05.2014 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय : **विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 09.05.2014 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की गई।**

02. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 09.05.2014 बैठक के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन सूचनार्थ पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा।

निर्णय : **विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 09.05.2014 बैठक के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण किया गया।**

03. विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 03.06.2014 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : **विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 03.06.2014 के कार्यवृत्त निम्नलिखित निर्णय के साथ अनुमोदन किया गया:–**

(1) **दानदाता के आवेदन के आधार पर विषय क्रमांक 04 पर निर्णय लिया गया कि एम.ए. अर्थशास्त्र में उषा पवन दुबे स्वर्ण पदक के स्थान पर एम.काम. में स्व. श्री पवन कुमार दुबे स्मृति स्वर्ण पदक प्रदान किये जाने के लिए विनियम क्रमांक 158 का तदनुसार संशोधन के साथ अनुमोदन किया गया।**

(2) विषय क्रमांक 08 संबंधित महाविद्यालय के प्रबंधन परिवर्तन संबंधी प्रकरण पर महाविद्यालय निरीक्षण समिति भेजकर निरीक्षण कराया जाए की उक्त महाविद्यालय के प्रबंध हस्तांतरण होने का कारण क्या है ? तथा इसके वर्तमान प्रबंधन समिति में कौन–कौन सदस्य है एवं संबंधित महाविद्यालय को लेने के बाद क्या योजना है एवं किस प्रकार संबंधित महाविद्यालय का संचालन सुव्यवस्थित रूप से करेंगे ?

(3) **शोध में गुणवत्ता के संबंध में दी गई अनुशंसा अन्य शोध उपाधियाँ यथा डी.एस.सी., डी.लिट्. आदि पर भी लागू होगी।**

04. सेमेस्टर परीक्षा सत्र 2013–14 हेतु कुल 43 परीक्षा केन्द्रों को अग्रिम राशि 12,50,000/– भुगतान की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : **सेमेस्टर परीक्षा सत्र 2013–14 हेतु कुल 43 परीक्षा केन्द्रों को अग्रिम राशि 12,50,000/– भुगतान की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।**

05. मुख्य परीक्षा 2014 के संचालन हेतु द्वितीय किस्त के रूप में 112 परीक्षा केन्द्रों को अग्रिम राशि 70,89,000/– भुगतान की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : **मुख्य परीक्षा 2014 के संचालन हेतु द्वितीय किस्त के रूप में 112 परीक्षा केन्द्रों को अग्रिम राशि 70,89,000/– भुगतान की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।**

06. बायोसाइंस अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव (Proposal for appointment of consultant for NCNR Project) के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **डॉ. एम.एल. नायक, सेवानिवृत्त प्राध्यापक को NCNR Project में एक वर्ष के लिए कंसल्टेंट नियुक्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।**

07. देव संस्कृति कालेज ऑफ एजुकेशन एण्ड टेक्नालॉजी, ग्राम–खपरी, धमधा रोड, दुर्ग में प्राचार्य के पद के लिये चयन समिति की अनुशंसा, बंद लिफाफा के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **देव संस्कृति कालेज ऑफ एजुकेशन एण्ड टेक्नालॉजी, ग्राम–खपरी, धमधा रोड, दुर्ग में प्राचार्य के पद के लिये चयन समिति की अनुशंसा अनुसार Dr. Suman Baliyan के नाम का अनुमोदन किया गया।**

पूरक विषयसूची

01. संविदा नियुक्त 02 उप कुलसचिवों एवं वित्त नियंत्रक तथा लेखा अधिकारी की संविदा सेवा अवधि पूर्ण होने के उपरांत संविदा सेवा अवधि में वृद्धि के संबंध में विचार करना।

निर्णय : (i) **प्रस्ताव के अनुसार डॉ. जे.एल. गंगवानी, उप कुलसचिव (संविदा) एवं डॉ. आर.के. अग्रवाल, उप कुलसचिव (संविदा) की सेवाएं दिनांक 16.07.2014 से 1 वर्ष के लिए अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, निरंतर करने की स्वीकृति प्रदान की गई।**

(ii) **श्री बी.सी. बिश्वास, वित्त नियंत्रक (संविदा) की सेवाएं दिनांक 01.08.2014 से 1 वर्ष के लिए अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, निरंतर करने की स्वीकृति प्रदान की गई।**

(iii) **श्री के.पी. यादव, लेखा अधिकारी (संविदा) की सेवाएं दिनांक 16.08.2014 से 1 वर्ष के लिए अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, निरंतर करने की स्वीकृति प्रदान की गई।**

निर्णय क्रमांक (i) एवं (ii) के अनुमोदन हेतु प्रकरण छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा को पत्र प्रेषित किया जाए।

02. डॉ. सुपर्ण सेनगुप्ता को ग्रंथपाल पद से कार्य–मुक्त किए जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **आगामी कार्यपरिषद् की बैठक में प्रस्तुत किया जाए।**

03. डॉ. संजय तिवारी, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, इलेक्ट्रानिक्स एवं फोटोनिक्स अध्ययनशाला के द्वारा प्रतिनियुक्ति के संबंध में प्राप्त आवेदन पर विचार करना।

निर्णय : **आगामी कार्यपरिषद् की बैठक में प्रस्तुत किया जाए।**

04. महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालय शिक्षण विभागों में छात्र संघ के गठन से संबंधित अध्यादेश क्रमांक 1 एवं 2 के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : **महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालय शिक्षण विभागों में छात्र संघ के गठन से संबंधित अध्यादेश क्रमांक 1 एवं 2 का अनुमोदन किया गया।**

एक सदस्य द्वारा उक्त अध्यादेश में निर्वाचन का आधार मतदान के बजाय शैक्षणिक श्रेष्ठता को रखे जाने का सभी सदस्यों ने सहमति दी।

05. विश्वविद्यालय के भवनों की साफ–सफाई की व्यवस्था आउटसोर्सिंग से कराने के संबंध में प्राप्त निविदा पर समिति द्वारा की गई अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : **विश्वविद्यालय के भवनों की साफ–सफाई की व्यवस्था आउटसोर्सिंग से कराने के संबंध में प्राप्त निविदा पर समिति द्वारा की गई अनुशंसानुसार, फर्म 'न्यू भारत सिक्यूरिटी एंड डिटेक्टिव सर्विसेस, नागपुर' से उनके द्वारा निविदा में उल्लेखित दर पर दिनांक 01 सितम्बर, 2014 से 31 अगस्त, 2015 तक 1 वर्ष के लिए अनुबंध करने हेतु अनुमोदन किया गया।**

06. विश्वविद्यालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में प्राप्त निविदा पर समिति द्वारा की गई अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : **विश्वविद्यालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में प्राप्त निविदा पर समिति द्वारा की गई अनुशंसानुसार, फर्म मेसर्स 'न्यू भारत सिक्यूरिटी एंड डिटेक्टिव सर्विस, नागपुर' से उनके द्वारा निविदा में उल्लेखित दर पर दिनांक 1 जुलाई, 2014 से 30 जून, 2015 तक 1 वर्ष के लिए अनुबंध करने हेतु अनुमोदन किया गया।**

07. एन.सी.एन.आर. प्रोजेक्ट के मद से उपकरण क्रय करने के संबंध में विभागीय क्रय समिति एवं केन्द्रीय क्रय समिति की अनुशंसा अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय : **एन.सी.एन.आर. प्रोजेक्ट के मद से उपकरण क्रय करने के संबंध में विभागीय क्रय समिति एवं केन्द्रीय क्रय समिति की निम्नानुसार अनुशंसा का अनुमोदन किया गयाः—**

Equipment >500000.00

S. No.	Ref File No.	Name of Equipment	Firm	Price
1	1b	RT-PCR	M/s Invitrogen Bioservices Pvt. Ltd. Kolkata	1276500.00
2	2	Electrophoresis System & Gel Documentation	M/s BIO RAD, MUMBAI	703800.00
3	4	Super Critical Fluid Extraction Unit	M/S Waters India Pvt. Ltd., Secundrabad	4100118.00
4	5	LC-MS-MS System	M/s Thermo Fisher Scientific.	11799000.00
5	6	FTIR	M/S THERMO FISHER SCIENTIFIC, MUMBAI	1369650.00
6	7	HPLC	M/S SPINCO BIOTECH PVT. LTD. BANGLORE	2680700.00
7	8	NMR Spectrophotometer 400 MHz	M/S BRUKER INDIA SCIENTIFIC PVT. LTD. BANGLORE	24018750.00
8	10	AAS	M/S LAB INDIA ANALYTICAL INSTRUMENTS PVT. LTD.	2676465.00
9	13	Refrigerated High Speed centrifuge and Rotors	M/S KASLIWAL BROTHERS, RAIPUR	1237260.00
10	15	UV Spectrophotometer	M/S THERMO FISHER SCIENTIFIC, MUMBAI	572700.00

08. Consultant एवं NCNR Project Staff के लिये मानदेय एवं विशेष भत्ता स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **(1) NCNR प्रोजेक्ट के अंतर्गत Consultant के लिए निम्नानुसार मानदेय प्रदान करने की स्वीकृति दी गई :—**

S.No.	Status of consultant	Amount as consultancy fee (INR)	Maximum Limit (INR) month^{-1}	Source of Payment
1	Rank of Professor or above	1000.00 day^{-1}	25000.00	NCNR has allocation for consultancy under the head, "Manpower Budget"
2	Rank of Associate Professor or equivalent	750.00 day^{-1}	17500.00	
3	Rank of Assistant Professor or equivalent	Rs. 500.00 per day	12500.00	

यह भी निर्णय लिया गया कि इस कार्य में मेडिकल (एम.बी.बी.एस., बी.ए. एम.एस., बी.एच.एम.एस. एवं पैथोलॉजिस्ट) कंसल्टेंट नियुक्त किया जाता है तो क्रम सं. 2 के अनुसार मानदेय प्रदान किया जावे।

(2) वनांचलों में सर्वेक्षण कार्य करने वाले कंसल्टेंट एवं प्रोजेक्ट स्टॉफ को फील्ड एलाउन्स रू. 200/- (TA/DA को छोड़कर) की स्वीकृति प्रदान की गई। चूंकि फील्ड में जाकर सैंपल लेने का कार्य मई से प्रारंभ है। अतः यह व्यवस्था मई, 2014 से प्रभावशील होगा।

09. वार्षिक परीक्षा 2014, नोडल के केन्द्र/केन्द्रीय मूल्यांकन इकाई को प्रदाय अग्रिम की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : **वार्षिक परीक्षा 2014, नोडल के केन्द्र/केन्द्रीय मूल्यांकन इकाई को प्रदाय अग्रिम की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।**

10. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय प्रेक्षागृह के acoustics सुधार, एयर कंडीशन एवं पब्लिक एड्रेस सिस्टम का कार्य डिपाजिट वर्क के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग से कराने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय प्रेक्षागृह के acoustics सुधार, एयर कंडीशन कार्य एवं पूर्व स्थापित पब्लिक एड्रेस सिस्टम को दुरूस्त कर प्रभावी करने संबंधी कार्य डिपाजिट वर्क के अन्तर्गत् लोक निर्माण विभाग से कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।**

द्वितीय पूरक विषयसूची

1. भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 20.06.2014 के कार्यवृत्त में की गई अनुशंसा, अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय : **भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 20.06.2014 के कार्यवृत्त में की गई अनुशंसा का अनुमोदन किया गया।**

2. श्री रूपेश कुमार शर्मा, अनिवार्य सेवानिवृत्त, उपयंत्री के द्वारा कार्यपरिषद् के समक्ष प्रस्तुत अपील दिनांक 03.02.2014 के प्रकरण के संबंध में विचार करना।

निर्णय :

1. श्री रूपेश कुमार शर्मा के विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच में उन पर लगाए गए उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना से संबंधित सभी आरोप सिद्ध पाए गए हैं।

2. विभागीय जांच उपरांत उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा पत्र क्रमांक 2208/सा.प्रशा./2013 दिनांक 17.05.2013 प्रेषित करते हुए उनके विरूद्ध लगाये गये आरोपों के बाबत् उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदाय किया गया था।

जिसके जवाब में, श्री शर्मा के द्वारा दिनांक 01.06.2013 को पत्र प्रेषित करते हुए उन पर लगाये गये सभी आरोपों को अस्वीकार करते हुए पूर्वाग्रह से ग्रसित होना बताया गया है।

3. विश्वविद्यालय द्वारा विभागीय जांच में उन पर लगाये गये सभी आरोप सिद्ध पाये जाने के उपरांत, दण्ड निर्धारण के पूर्व, उन पर आश्रित परिवार के सदस्यों के भविष्य को मद्देनजर रखते हुए उन्हें मानवीयता के आधार पर एवं विश्वविद्यालय द्वारा पत्र क्रमांक 7605/सा.प्रशा./2013 दिनांक 07.12.2013 प्रेषित करते हुए एक अवसर प्रदाय किया गया था। जिसमें उनसे स्टाम्प पेपर पर एक वचनपत्र प्रदाय करने हेतु कहा गया था।

उक्त अवसर का लाभ न उठाते हुए, श्री शर्मा द्वारा दिनांक 13.12.2013 को पत्र प्रेषित करते हुए विश्वविद्यालय की इस सद्भावनापूर्ण मानवीयता के आधार पर की गई कार्यवाही को नियमविरूद्ध एवं असंवैधानिक कार्यवाही किये जाने का उल्लेख किया गया है।

4. तत्पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 07.01.2014 को आदेश पारित करते हुए उन्हें विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक 140/सा.प्रशा./2014 दिनांक 07.01.2014 के द्वारा विश्वविद्यालय परिनियम 31 की कंडिका 57 (1)(e) के तहत तत्काल प्रभाव से विश्वविद्यालयीन सेवा से अनिवार्य सेवानिवृत्त करने संबंधी आदेश दिये गये थे।

5. श्री शर्मा द्वारा कार्यपरिषद के समक्ष प्रस्तुत की गई अपील पर विचार करते हुए कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 25.03.2014 को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि– संबंधित के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करने के पूर्व विधिक अभिमत लिया जावे।

उच्च न्यायालय के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में विधिक अभिमत प्रदाय करते हुए– विश्वविद्यालय द्वारा की गई कार्यवाही को वैधानिक निर्णय बताया गया है।

6. विश्वविद्यालय के कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 09.05.2014 में श्री रूपेश कुमार शर्मा द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 03.02.2014 के संबंध में विचार करते हुए प्रकरण की समीक्षा हेतु 03 सदस्यीय समिति के गठन का निर्णय लिया गया।

कार्यपरिषद की उक्त बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार गठित 03 सदस्यीय समिति द्वारा दिनांक 18.06.2014 को यह कहा गया कि– **यदि वे इस संबंध में खेद प्रकट करना चाहते हैं तो लिखित रूप से सूचित कर सकते हैं और उक्त स्थिति में उनका स्पष्टीकरण और खेद प्रदर्शन संतोषप्रद पाया गया तो उनके विरूद्ध नरम दृष्टिकोण अपनाएं जाने की अनुशंसा की जा सकती है।** साथ ही उन्हें यह भी सूचित किया गया कि– आज ही ऐसा लिखित आवेदन पत्र दें सकते हैं और यदि वे चाहें तो दो–तीन दिनों का अवसर भी दिया जा सकता है।

श्री रूपेश कुमार शर्मा ने समिति को सूचित किया कि– वे उनके द्वारा प्रस्तुत अपील में उठाई गई आपत्तियों पर ही निर्णय चाहते हैं और किसी प्रकार का कोई आवेदन अथवा आश्वासन अलग से नहीं देना चाहते हैं।

7. कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 23.06.2014 में श्री रूपेश कुमार शर्मा के द्वारा प्रस्तुत अपील प्रकरण पर विचार करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि– श्री रूपेश कुमार शर्मा को पुनः एक और अवसर प्रदान करते हुए उन्हें अपने आचरण एवं व्यवहार में सुधार हेतु लिखित में एक वचनपत्र प्राप्त किया जावे।

साथ ही उन्हें यह भी अवगत करा दिया जावें कि– यदि वे लिखित में वचनपत्र नहीं देते हैं तो विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में जारी अनिवार्य सेवानिवृत्ति आदेश क्रमांक 140/सा.प्रशा./2014 दिनांक 07.01.2014 यथावत् रहेगा।

3. परीक्षा एवं अन्य आवेदन–पत्रों के ऑन–लाईन (Payment gateway) भुगतान के संबंध में विचार करना।

निर्णय : प्रकरण पर स्टेट बैंक आफ इण्डिया के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

4. डॉ. शैलेन्द्र सराफ, प्रोफेसर, विश्वविद्यालय फार्मेसी संस्थान के प्रतिनियुक्ति के संबंध में विचार करना।

निर्णय : अवर सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग ने पत्र क्रमांक 2330/1926/2014/38.2 दिनांक 16.06.2014 के द्वारा छ.ग. स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई को डॉ. शैलेन्द्र सराफ, प्रोफेसर फार्मेसी संस्थान की सेवाएं कुलाधिसचिव के पद पर प्रतिनियुक्ति पर सौंपने संबंधी प्रस्ताव पर एक वर्ष के लिए स्वीकृति प्रदान की गई।

5. वित्त विभाग की इम्प्रेस्ट राशि रू. 10,000/– से वृद्धि कर रू. 30,000/– स्वीकृत करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : अमान्य किया गया।

6. पी–एच.डी. शोधार्थियों की सूची कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय : विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 01.03.2013 से 16.06.2014 तक पी–एच.डी. की उपाधि के लिए अधिसूचित सूची की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् कार्यवाही संपन्न हुई।

(डॉ.एस.के पाण्डेय)
कुलपति
अध्यक्ष

(के.के. चन्द्राकर)
कुलसचिव
सचिव

पृ. क्रमांक : 604 /अका./का.प./**2014** रायपुर, दिनांक : 28/**06/2014**

प्रतिलिपि :–

1. माननीय कुलाधिपति महोदय के प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर।
2. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को।
3. जनसम्पर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
4. वित्त नियंत्रक/प्रभारी अंकेक्षण,
5. समस्त विभागीय अधिकारी,
6. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।